राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांकः निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(stock-Chittor)/2017//1505 दिनांकः 17.04.2018

ई–नीलामी विज्ञप्ति

विभाग को चित्तौड़गढ़ जिले में ग्राम सहनवा में खनिज रेड ऑकर के स्टॉक को ई–नीलामी से विक्रय किया जाना है। उक्त खनिज श्री इन्द्रमल दर्जी के पक्ष में पूर्व में धृत खनन पट्टा एम.एल. 79/2005 (जो खण्डित हो चुका है) के अन्दर व पास में बाहर 2 ब्लॉक (Heap) में पड़ा हुआ है । ई–नीलामी का विवरण निम्नानुसार है :–

खनिज एवं मात्रा	आरक्षित दर (रूपयों में)	बिड सिक्यूरिटी (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु बिड सिक्यूरिटी राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली प्रस्तुत करने की दिनांक व समय
खनिज रेड ऑकर, मौके अनुसार परन्तु अनुमानित मात्रा 2,50,417 टन की सीमा तक	12.40 करोड़	24,80,000/–	02.05.2018	03.05.2018 10AM से 1 PM तक

ई–नीलामी की शर्ते निम्नानुसार हैं :–

अ महत्वपूर्ण बिंदुः–

1 खनिज की नीलामी ''जहां है जैसी है'' के आधार पर की जा रही है परन्तु अधिकतम 250417 टन के विक्रय की अनुमति दी जाएगी। इस मात्रा से कम खनिज उपलब्ध होने पर भी बिड राशि में कमी नहीं की जावेगी। खनिज स्टॉक की लोकेशन एवं अन्य सूचनाऐं उपरोक्त तालिका अनुसार व सलंग्न एनेक्शर पर है जो कि विभागीय वेबसाइट www.mines rajasthan.gov.in पर तथा सेवा प्रदाता की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध है जहां से डाउनलोड की जा सकती है। नीलाम किये जा रहे खनिज जहॉ है, जैसे है के आधार पर नीलाम किया जा रहा है। बोलीदाता खनिज स्टॉक का निरीक्षण, अक्षान्तर एवं देशान्तर के आधार पर अपने स्तर

पर करेगा। स्टॉक की स्थिति, पहुंच के रास्ते एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं इत्यादि बाबत् बोलीदाता पूर्ण रूप से स्वयं को आश्वस्त करेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें स्वीकार नहीं की जायेगी।

2 ई–नीलामी में खनिज की कीमत की बोली ली जायेगी। यह राशि प्रत्येक खनिज निर्गमन पर रॉयल्टी व डी.एम.एफ. के अतिरिक्त देय होगी। अन्य कोई कर, शुल्क, अंशदान आदि यदि इस विक्रय पर लागु होते होंगे तो पृथक से देय होंगे। उच्चतम बोलीदाता को निर्गमन का आदेश जारी होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में खनिज आवश्यक रूप से निर्गमित करना होगा। खनिज निर्गमन हेतु उच्चतम बोलीदाता को खनिज का निर्गमन विभाग से रवन्ना जारी कराकर सुरक्षात्मक रूप से करना होगा।

3 ई–नीलामी की प्रकिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्पलेक्स, टोंक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141–2742208 है।

4 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट व सेवा प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबसाईट पर दी जावेगी । इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

ब बोलीदाता के लिए पंजीयन की प्रकिया:–

1 ई–नीलामी प्रकिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही एमएसटीसी के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा एमएसटीसी के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।

2 ई–नीलामी की प्रकिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्पलेक्स, टोंक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141–2742208 है।

3 पंजीयन प्रकिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई–मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है। उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास–II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया

वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।

4 पंजीयन हेतु ऑनलाईन् रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कॉर्ड, एड्रेस प्रुफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस.सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रुफ, रजिस्ट्रेशन फीस रूपये 10,000/– व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई–मेल आई.डी. पर भिजवाई जावेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई–मेल से भिजवाने होगें।

स ई–नीलामीं की प्रकिया

1 ई–नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक बिड सिक्यूरिटी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से एम. एस. टी. सी को जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा।

2 बोलीदाता द्वारा बिड सिक्युरिटी जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई–नीलामी की शर्तों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है । बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वंय जिम्मेदार होगा। बोलीदाता को ई–नीलामी की शर्तो के सम्बन्ध में कोई संशय हो, तो वह इस कार्यालय से मार्गदर्शन मांग सकता है।

3 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये है) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।

4 बोली आरक्षित दर (रिर्जव प्राईज) से कम स्वीकार नहीं की जायेगी।

5 बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है।

6 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जावेगा, जिसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे बोलीदाता को भेजी जावेगी।

7 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में लगाई गई बोली राशि का 5 प्रतिशत राशि के बराबर राशि प्रथम किश्त के रूप में ई–ग्रास के माध्यम से जमा कराते हुए एवं निम्न दस्तावेज निदेशालय के प्रधान अनुभाग में प्रस्तुत करने आवश्यक होगें। 5 प्रतिशत राशि की प्रथम किश्त में उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बिड सिक्यूरिटी राशि समायोजन योग्य होगी :–

i. 5 प्रतिशत जमा कराई गई राशि की चालान/रसीद की प्रति।

ii. बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।

iii. बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।

iv. आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।

v. PAN card / TIN की सत्यापित प्रति।

vi. एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति।

vii. ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।

8 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में उक्त राशि एवं दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो उसकी जमा बिड सिक्यूरिटी राशि जब्त कर ली जायेगी।

9 ई नीलामी प्रकिया के बिन्दु संख्या 7 की पूर्ण पालना कर देने पर बोलीदाता को मंशा पत्र जारी किया जावेगा, जिसमें वर्णित 15 दिन की समयावधि में बिड राशि के 5 प्रतिशत के बराबर परफोरमेन्स सिक्यूरिटी बैंक गारण्टी के रूप में, जो कि खनि अभियंता, चित्तौड़गढ़ के नाम बनाई गई हो तथा 30 माह के लिए वैध हो निदेशालय में प्रस्तुत करनी होगी।

नोट – (1) अन्य बोलीदाताओं को उनकी बिड प्रतिभूति राशि का रिफण्ड उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली की प्रथम किश्त जमा करा देने पर कर दिया जायेगा।

(2) सफल बोलीदाता को उसकी बिड सिक्यूरिटी उसके द्वारा बिड राशि का 5 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में जमा कराने के पश्चात एमएसटीसी द्वारा 7 दिन में लौटा दी जावेगी।

(3) बोलीदाता द्वारा बिड राशि के 5 प्रतिशत के बराबर परफोरमेन्स सिक्यूरिटी (बैंक गारन्टी) निविदा समाप्ति की तिथि से 15 दिन की अवधि में जमा नहीं कराने पर उसके द्वारा जमा कराई गई बिड सिक्यूरिटी सहित 5 प्रतिशत प्रथम किश्त की जमा राशि जब्त कर ली जावेगी। बोलीदाता द्वारा 5% बिड की राशि एवं 5% परफोरमेन्स सिक्युरिटी उक्तानुसार जमा करा देने के उपरान्त खनिज निर्गमन का आदेश जारी किया जायेगा।

(4) खनिज के निर्गमन हेतु रॉयल्टी, जो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के शिड्यूल II के अनुसार होगी तथा डी.एम.एफ. (वर्तमान में रॉयल्टी का 10 प्रतिशत) विभाग को देना होगा। रॉयल्टी की दरों में वृद्धि होने पर उसी अनुपात में रॉयल्टी एवं डी.एम.एफ. की वृद्धि भी होगी। इसके अलावा जी.एस.टी. एवं टी.सी.एस. (आयकर) ईत्यादि अन्य कर कोई हो तो पृथक जमा कराना होगा । उक्त समस्त राशि बोली (बिड) राशि के अतिरिक्त देय होगी।

10 बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई बिड राशि की शेष बची हुई 95 प्रतिशत राशि 18 बराबर मासिक किश्तों में अनुमति जारी करने की तिथि के आगामी माह से प्रतिमाह अग्रिम रूप से जमा करानी होगी।

11 खनिज के निर्गमन हेतु विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी को उसके द्वारा जमा कराई गई अग्रिम मासिक किश्त के आधार पर रॉयल्टी एवं डी.एम.एफ. की राशि एवं अन्य कर यदि हो तो अग्रिम जमा कराते हुये रवन्ना जारी की जावेगी।

12 यदि अनुज्ञाधारी दो वर्ष की अवधि में समस्त खनिज नहीं उठा पाता है तो अनुज्ञाधारी को दो वर्ष पश्चात खनिज उठाने का कोई अधिकार नहीं होगा एवं इस आधार पर जमा कराई गई राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

13 अनुज्ञाधारी द्वारा प्रति माह किये गये खनिज के निर्गमन का अधिशुल्क निर्धारण प्रतिमाह के आधार पर कराना होगा एवं उसके लिये अनुज्ञाधारी को सम्बन्धित माह के अधिशुल्क निर्धारण का रेकार्ड मय तुलाई रसीदो के अगले माह की 15 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे खनिज निर्गमन हेतु रवन्ना जारी नहीं किये जावेंगे।

17-4-18

(डी.एस. मारू)
निदेशक

क्रमांकः निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी**(stock)**/2017/1506-1571 दिनांकः 17.04.2018

प्रतिलिपि :–

1– श्री दिनेश कुमार मील, Dy. Manager, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

2– नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

3– नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

4– निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :–

अ– अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।

ब– अधीक्षण खनि अभियंता – उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।

स– खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर/अलवर/कोटा/ रामगंजमण्डी/बून्दी–I/बुंदी–II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/नागौर/सोजत/उदयपुर/राजसमन्द–I/II/आमेट/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर।

द– सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/सलूम्बर/ऋषभदेव/ निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/ रूपवास/हनुमानगढ/चुरू/नीमकाथाना/सावर।

(ओ.पी. काबरा)
अधीक्षण खनि अभियंता(मु.–III)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चित्तौड़गढ़
खनिज भवन/Khanij Bhavan चित्तौड़गढ़/Chittorgarh - 312001
दूरभाष/Phone 01472-251870 Fax 01472-251870

1. खण्डित खननपट्टा क्षैत्र के अन्दर स्टांक खनिज/मटेरियल के कांर्डिनेट्स ब्लांक A

	Longitude	Latitude
1	74-35-11.6	24-48-53.6
2	74-35-13.5	24-48-56.9
3	74-35-10.2	24-48-57.6
4	74-35-09.4	24-48-56.2
5	74-35-09.7	24-48-54.6

2 खण्डित खननपट्टा क्षैत्र के बाहर स्टांक खनिज/मटेरियल के कांर्डिनेट्स ब्लांक B

	Longitude	Latitude
1	74-35-17.6	24-48-55.6
2	74-35-20.0	24-48-55.0
3	74-35-15.7	24-48-52.5
4	74-35-17.8	24-48-52.1

भवदीय

(सतीश आर्य)
खनि अभियन्ता, चितौड़गढ